

कार्यालय प्राम पंचायत-..... अकबरपुर
 विकास स्थग्नि रसायन
 जनपद-..... गाजीपुर
 नमूना

दिनांक ३५/०६/२३

विषय:- जल जीवन मिशन (झर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी को निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

प्राचीन

जवाहर कराना ८ कि दिनांक ३५/०६/२३ को ग्रातः 10:00 बज से पंचायत भवन पारिसर में ग्राम पंचायत में नियारा करने वाल प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वाड़ सदस्य, लेखपात्र, प्रशिक्षित/जूड़हाइस्कूल के प्रधानाधार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, औंगनवाड़ी कार्यकर्ता/समाचारी, कांटदार, ए०एन०एस० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उगत बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाल प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परियोजना के तुलिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र सम्बन्ध है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के कियानायन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

प्रतः अनुरोध है कि कृपया यथासीध ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्यालयी गराने का काट यारे।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

भवदेवा

M.P. Singh
 (Director)
 Sushma Foundation
 Varanasi(U.P.)

अध्यक्ष श. श. श.
 ग्राम पंचायत-अकबरपुर
 नवाया मौ. हरसुनगढ़
 विहारी-साहाल, गाजीपुर
 ग्राम प्रधान



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय को "जीवन मुग्धता" को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अधीनत वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: ५०-०८-२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: २३-०८-२३

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: झाँगपुर

ग्राम पंचायत का नाम: झाँकबरपुर

इलाक़ का नाम: सापात

जिला का नाम: गांधीपुर

राज्य का नाम: उत्तर-प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकृक्षा: (संख्या) मवेशी कुड़ी को और (संख्या) कपड़े धोने/त्साल करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अधीनत घन्टे निर्धारित गुणवत्ता * वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनाव, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प सिया आता है कि पूँजी लागत वह ____ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अधीनत वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पैराल २१२९८ लामी

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: २१२९८ देवी

लिंग: महिला

आयु:

प्राप्ति: पैराल २१२९८ लामी
प्राप्ति: पैराल २१२९८ लामी

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)

III. सामान्य विवरण

6.

वर्तमान जनसंख्या की अवधि:	प्रतिवर्षीय वृद्धि:
प्रतिवर्षीय वृद्धि:	प्रतिवर्षीय वृद्धि:

7. जनसंख्या अनुमान:

नव्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मध्यस्थी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): ३६७

9. कृषि फसल पैटन: _____

प्रमाणित किसिल	प्रमाणित गोबी
सात	सात

10. ओसत जिता वर्षा (मि.मी. मि.): १६५ से १७० मि.11. स्थलाकृति (समतल, ढालान, आदि): उच्च

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानविकण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘दाम कार्य योजना’ के साथ मानविक संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानविकण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘दाम कार्य योजना’ के साथ मानविक संलग्न करें)

1. जनसंख्या	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)
2. आगनवाड़ी	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)
3. विद्युत विभूषण	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)
4. जल संपर्क संतुलन	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)	विप्रवालीकरण योजना का द्वारा नियन्त्रित किया गया है (हाँ/नहीं)

शानी की कृत दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ५५.४७ के.एल.डी.
 मध्येशिर्यों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: ६२.८१ के.एल.डी.
 मध्येशी कंडों भी आवश्यक संख्या: _____
 मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ६०.७१ के.एल.डी.
 अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: ३४.६३ के.एल.डी.

पानी की आपर्टिं का इतिवृत्त

16. गंगा में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/उकाल/चक्रवात/बाढ़ वा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: नहीं

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। नहीं


18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: ५००००००, ३००, ८००, पानी की गुणवत्ता

20. फोल्ड परीक्षण किट / वायर का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा प्रस्तावित पैयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____



कथड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह सम्भावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्थान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:



स्रोत स्थापित

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हैं/नहीं) है

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कामाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): ३१.३० के एल.डी.

अतिग-अलग सोखा गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: ५६

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखा नहड्डों की आवश्यकता है: २९

आवश्यक सामुदायिक सोखा गड्ढों की संख्या: ०१

क्या अपशिष्ट तब्बल तालाब वर्षी आवश्यकता है? (हैं/नहीं): है

यदि हैं, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिधारित किया गया है: ३१.३० लेई

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के बैंगन से उन्हें उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूरी हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.डे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलस्ट्रिंग वाटर/स्थानीय या धरहातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर गिड/होशीरीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एस.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्तर/आदिवासी बसितों में स्थित है

28. अभिनिधारित जल स्रोत: ३१.३० तकनीकी-ज्ञानीय और सामाजिक-आधिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: भू-जीवन नियन्त्रण

इस योजना के लिए अभिनिधारित भूमि: २१७ पंचायत व्यवस्था भूमि.

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पा.एच.इ.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौप दी जाएगी: २०२४

योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: X

समुदाय का हिस्सा: १०४ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: X व्यक्तिगत घरेलू न्यासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: ५०५.६ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिधारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ लिपि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिधारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

निम्नलिखित योजना का नाम	निम्नलिखित योजना का नाम	निम्नलिखित योजना का नाम	प्रस्तावित
भू-जल भू-जल	भू-जल भू-जल समाज	भू-जल भू-जल समाज	भू-जल भू-जल समाज
समुदाय भू-जल	भू-जल भू-जल समाज	भू-जल भू-जल समाज	भू-जल भू-जल समाज
मिनी सौर ऊर्जा	भू-जल भू-जल समाज	भू-जल भू-जल समाज	भू-जल भू-जल समाज



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत बाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	बाटरशेड प्रबंधन/ आप.डब्ल्यू.एच./ कर्डिम पुर्षर्वण, जल निकायों का निर्माण/ कृषि आदि।	
जल अंडारों की मरम्मत, नदीनीवनण और जीणीद्वारा	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बढ़े जल अंडारों का जीणीद्वारा	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	बाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रदानमंत्री कृषि सिवाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण नियामन	जल की अधिक खपत वाली विशिष्ट फसलों के लिए सूखम-सिवाई का प्रावधान, एकीफॉर्म से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आवाजना प्राप्तिकरण	पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, बन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, बॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रदानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के सिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय विकास	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूली में पैदल आपूर्ति का प्रावधान	
आवासीय जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विकेन्द्रीय निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (टी.एन.ए.ए)	राज्य	बढ़े पैमालों पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एन.ए.डी.	सांखियकी और कर्चर्क्रम कार्यालयन मंत्रालय (एमपीएनएपीआडी)	अंतर्राज्य अवसंरचना	
एम.एस.ए.एस.ए.डी.	राज्य	अंतर्राज्य अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदानजनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्राज्य अवसंरचना	
दलदाता/पायोजक			

आधिकार का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि जागू हो): _____

संपर्क विवरण

गाम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का मध्यका पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. शंख पाटेंगा = ७७१९१९४८६१३
2. रमेश = ९६२८१५०००७
3. शीला पुष्टीपाठी = ६३४९३६०५५६
4. अंग देवी = ६३४४७०५४५४
5. शीतू गोदा = ४४०४५७१६०२

पप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

प्रधान शिरदा डॉ...
गाम पंचायत-जलवरपुर
नगर तां- बुरगुजपुर
विधायक-साधार, याजीपुर


M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)